

(524)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: प.6()नवि/3/07

जयपुर, दिनांक 30/7/2015

आधुनिक
जयपुर विकास प्राधिकरण,
जयपुर

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु अवाप्त की गयी
रूखे उपयोग में ली गयी भूमि/भूखण्ड के एवज में भूमि दिये जाने बाबत।

संदर्भ:- आपका पत्रांक जेडीए/डीसी-8/आई.डी-1107450/2015/डी-315 दिनांक 05.02.15 के
क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके संदर्भित पत्र के प्रस्तावानुसार जयपुर विकास प्राधिकरण रीजन में सेक्टर
रोड विकसित करने हेतु अवाप्त की गयी भूमि/भूखण्डों के एवज में भूमि/भूखण्ड दिये के विन्दुवार
प्रस्तावों के संबंध में राज्य सरकार के सक्षम स्तर से लिये गये निर्णयानुसार विन्दुवार प्रस्ताव पर अनुमोदन
निम्नानुसार प्रदान किया गया है।

क्र.सं.	जयपुर विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव	राज्य सरकार का अनुमोदन
1.	Wherever residential land (land for which JDA patta including Pattas issued by JDA in private/cooperative scheme etc. or Abadi patta is available), equal area of mix use land be given.	यदि आवासीय योजना में सेक्टर रोड निकाली जाती है तो सेक्टर रोड हेतु जिस आशय की भूमि उपयोग में ली जाती है उसी आशय की बराबर क्षेत्रफल समतुल्य व सममूल्य की भूमि/भूखण्ड प्राथिगणों को दिये जावे।
2.	Wherever 90A 90B has been done & JDA patts have been issued to some plot holders of the scheme, but affected person has not taken JDA Patta: 75 % of plot area be given as mix use land.	जिन योजनाओं में 90ए या 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है व योजना में पट्टे जारी किये जा चुके हैं एवं मोके पर योजना में 20 प्रतिशत बसावट आ चुकी है एवं योजना में जिन प्रभावित भूखण्डधारियों को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। यदि ऐसी आवासीय योजना में सेक्टर रोड निकाली जाती है तो सेक्टर रोड हेतु जिस आशय की भूमि उपयोग में ली जाती है। उसी आशय की उपयोग में ली गयी भूमि के बराबर क्षेत्रफल की समतुल्य व सममूल्य की भूमि/भूखण्ड प्राथिगणों को दिये जावे।
3.	Wherever 90A 90B has been done & plots have been cut but JDA patta has not been issued to any plot holder in the scheme, 50% of mix land use be given.	जिन योजनाओं में 90ए या 90बी की कार्यवाही की जा चुकी है किन्तु पट्टे जारी नहीं किये गये हैं और मोके पर योजना में बसावट नहीं होने के स्थिति में यदि सेक्टर रोड हेतु भूमि काम में ली जाती है तो उन भूखण्डधारियों की जिस आशय की भूमि काम में ली गयी है उसी आशय की समतुल्य व सममूल्य की शत-प्रतिशत भूमि/भूखण्ड प्राथिगणों को दी जावे।
4.	Wherever 90A 90B has not been done but affected person has allotment letters issued by Society etc., 30% of the land taken be given as mix use land.	विन्दु संख्या 4 के प्रस्ताव के क्रम में निम्नित भूखण्ड के स्थान पर अवाप्त भूमि भूखण्ड या जो उपयोग प्रस्तावित था उस भूमि/भूखण्ड के एवज में प्राथिगणों को उसी आशय की शत-प्रतिशत भूमि/भूखण्ड दिया जावे कि निम्नित उपयोग की भूमि/भूखण्ड।
5.	Wherever 90A 90B has not been done but affected person has allotment letters issued by Society etc., 30% of the land taken be given as mix use land.	वाणिज्यिक भूमि की जाती है तो टैक्स बंदी में समतुल्य वाणिज्यिक भूमि दी जाये वगैरह कि यह वाणिज्यिक स्थापित हो।
6.	In all the cases, compensation for structures on site be also given as per standard system of valuation.	स्ट्रक्चर्स बाबत मूल्यांकन के स्टैंडर्ड सिस्टम के मूल्यांकन मुआवजा दिया जावे।

नोट:- यदि सेक्टर रोड विकसित किये जाने हेतु यदि कृषि भूमि अवाप्त की जाती है या उपयोग में ली जाती है उसका परिणाम यह होगा कि संबंध में जारी पत्रांक दिनांक 22.12.14 के अनुसार जिन प्राथिगणों की भूमि काम में ली गयी है। उनके रेट = उन्हें 75 प्रतिशत विकसित भूमि (20 प्रतिशत आवासीय + 5 प्रतिशत वाणिज्यिक) दी जावे।

भवदीय,

(स.सिंह शेखावत)